निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **FR-**91 वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक- यमुना वृत्त**,** देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक- यमुना वृत्त**,** देहरादून के माह 09/2013 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गो वंद कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री एफ़ आर खान, वरिष्ठ संप्रेक्षक द्वारा दिनांक 23.10.2017 से 25.10.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक तथा श्री रामवीर संह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03/09/2013 से 07/09/2013 तक श्री आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 04/2012 से 08/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः यमुना वृत्त के प्रभागों में नियंत्रण संबंधी कार्य।

(ii) (अ) <u>**राजस्व का विवरणः**</u> विगत वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	<u>अर्जित राजस्व (रू लाख में)</u>
2013-14	0.51
2014-15	0.114
2015-16	0.13
2016-17	0.066

(ii) (ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	-	-	111.51	111.51	0.99	0.99
2014-15	-	-	120.55	120.55	0.18	0.18
2015-16	-	-	125.41	125.41	0.45	0.45
2016-17	-	-	128.60	128.60	1.79	1.79

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय
2015-16		शून्य		
2016-17				

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, वन एवं पर्यावरण ⟶ प्रमुख वन संरक्षक (एचओएफ़एफ़) ⟶ मुख्य वन संरक्षक।

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में मुख्य वन संरक्षक- यमुना वृत्त, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक- यमुना वृत्त, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2014 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया ।

राजस्व की जांच हेतु 03/2014 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------ ....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(व्यय)

भाग दो ब

प्रस्तर 01- अनिय मत व्यय `13.14 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (` दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय **मुख्य वन संरक्षक- यमुना वृत्त, देहरादून** की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस द्वारा अगस्त 2013 **से** फरवरी 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी थी तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए कुल ₹ 13.14 लाख का भुगतान किया गया था। मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस के श्रम शक्ति को बिना निविदा/**कोटेशन** के आमंत्रण के लिया गया था जबकि उक्त सर्विस प्राप्त किये जाने के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके। अतः, नियमानुसार निविदा का आमंत्रण न करके ₹ 13.14 लाख का अनियमित व्यय किया गया था।

उक्त को इंगित किये जाने पर वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च अधिकारियों के **निर्देशानुसार** ही गर्ग कांट्रैक्ट सर्विस से सेवा ली गयी ।

विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योकि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था एवं निविदा के फलस्वरूप एजेंसी को दिये जाने वाले सर्विस चार्ज में कम दर प्राप्त हो सकती थी जिससे राजकीय धन की बचत होती। अतः ₹ 13.14 लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

व्यय से संबंधत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
64/2013-14	-	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
64/2013-14 भाग 2 ब -1	योजनाओं की धनरा श ₹ 2.57 लाख का व्ययवर्तन।	प्रस्तुत की गई	प्रकरण निस्तारित करने की स्वीकृति की जाती है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु वन संरक्षक- यमुना वृत्त, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आर.के. मश्र	वन संरक्षक
2	श्री भुवन चन्द्र	वन संरक्षक
3	श्री आर.के. मश्र	वन संरक्षक
4	श्री भुवन चन्द्र	वन संरक्षक
5	श्री आर.के. मश्र	वन संरक्षक
6	श्री जन्मेजय संह	वन संरक्षक
7	श्री सी.के. क वदयाल	वन संरक्षक
8	श्री अशोक कुमार महर	वन संरक्षक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति वन संरक्षक- यमुना वृत्त, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी